सत्र 2019-20 में कक्षा द्वितीय (2) में प्रवेश के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

दिनांक **12.04.2019** को जारी **अनंतिम** (**Provisional**) प्रवेश संबंधी सूची के आधार पर प्रवेश पाने हेतु चयनित प्रवेशार्थियों के अभिभावक निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करें |

1. प्रवेश के समय माता अथवा पिता का उपस्थित होना अनिवार्य है |
2. प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जायेगा अतः सभी आवश्यक व सम्बंधित दस्तावेजों की **मूल प्रति** के साथ-साथ **उन सभी की एक-एक स्वप्रमाणित छायाप्रति** अवश्य लायें |
3. पिछले विद्यालय से जारी कक्षा प्रथम उत्तीर्ण की T.C. तथा प्रवेशार्थी का एक पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो लेकर आयें |
4. **जन्म प्रमाण** पत्र की,**मूल प्रति** एवं **स्वप्रमाणित छायाप्रति** |
5. यदि प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदनपत्र के अनुसार, अनुसूचित जाति (**SC**),अनुसूचित जनजाति (**ST**) या पिछड़ा वर्ग (**OBC-CL**) / (**OBC-NCL**) का है तो **प्रवेशार्थी के नाम के जाति प्रमाण पत्र की** मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति | (यदि प्रवेशार्थी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो माता अथवा पिता का स्वप्रमाणितजाति प्रमाण लगाकर एक **वचन पत्र** (**Undertaking**) देकर निर्धारित समय में उक्त प्रमाण पत्र कक्षाध्यापक के माध्यम से कार्यालय में जमा करना होगा | निर्धारित समय में ऐसा न कर पाने पर प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा)
6. आवेदन पत्र में अंकित पते के प्रमाणन हेतु **आवास प्रमाण पत्र** की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति |
7. **प्रवेशार्थी के आधार कार्ड** की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो तो)
8. प्रवेशार्थी के **रक्त समूह** (**Blood Group**) की रिपोर्ट की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति (यदि लागू हो तो)
9. सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश पोर्टल पर दिए गए **निर्धारित फार्मेट में सेवा प्रमाण पत्र** व **पिछले 7 वर्षों में हुए स्थानान्तरण का प्रमाण** (यदि लागू हो तो **) मूल रूप में** जमा करना होगा |
10. यदि आप विद्यालय से फीस जमा करना चाहते हैं तो ATM कार्ड के साथ वह मोबाइल भी साथ लायें जिस पर उस ATM कार्ड के प्रयोग करने के सन्देश (message) आते हों |
11. प्रवेश आवेदन पत्र में **असत्य सूचना** तथा **फर्जी** या **गलत** दस्तावेज़ पाए जाने पर प्रवेश न देने तथा **प्रवेश निरस्त** करने का अधिकार **प्राचार्य** का होगा |
12. दिनांक **12.04.2019** को जारी सूची में अनंतिम रूप से चयनित प्रवेशार्थियों के अभिभावक, दिनांक **20.04.2019** तक **अनिवार्यतः** सभी प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें |

आज्ञा से –

प्राचार्य